

आदेशा १०

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (खैरथल-सिजारा)

14-02-2025 आजकल (क)

प्रमाणित कन्ट्रा देवी कौटिल
के धर्मनापत्र पर लच्छ देवत
पत्राङ्क देवी देवी देवी देवी
गौगाराम पटेल इन्वेस्टमेंट ने
विकासकाम फेशियल व शाब्द
किसी कानूनी फेशियल व शाब्द
वाम व वापसी कौटिली के
पर शाब्द 029 R 03 व दफा
151 पर पत्राङ्क देवी देवी
शाब्द 029 R 03 पर
रुजिफा करने पर व देवी देवी
ने सहायता देवी देवी देवी देवी
पर कानून देवी देवी देवी देवी

Not Press
रुजि
को भे लो

किसी
किसी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (खैरथल-सिजारा)

दावा

है। सार्चना फन 025 R3 व L स्वीकृत
 किया जाय है। परिश्रम को रिफ्रेड वा
 लिया जावे। ~~क~~ वादी ~~के~~ वास्तविक डो
 एकरन : नो एपेसफकेन वे एपेस पर
 सुना मारा। इरक इपन रथ दि वे
 इपना विसाल ~~का~~ इरफल दर्ज
 कराना चाहते हैं। अतः वादी को
 आगे नही चलना चाहते हैं। वादी
 नोट प्रेस में अकरीज कर दिया जावे।
 प्रतीगण का सार्चना फन
 स्वीकृत किया जाय है। कद नही
 Not Press में अकरीज किया
 जाय है। फनवनी फेबल सुमा
 एडिट नम्बर से कम था। वादी एडमि
 कारिबिल निल लुख भण्डार हो। सुनाय
 मारा।


 उमरुण्ड अधिकारी
 गुड्डामर (सेरयल-सिजारा)

क्र. 212 RTA

आण्ड 0222 R3 CPC सीमा डिप
ज्या है वारिशन को सि फेड पर
विप्य जावे। तारी वारिशन को प्रकरण
Not press करने के प्रार्थना पत्र पर
सुना गया इनका प्रयन कछ कि वे
अपना विरक्त कास्ट प्रल दर्ज कराना
चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र को मागे
नवीं पक्षमा चाहते हैं। प्रार्थना पत्र
Not press में करीज कर दिया
जावे।

प्रार्थना पत्र को प्रार्थना पत्र <बीक
दिया जाय है। प्रार्थना पत्र करी

Not press में करीज दिया जाय
है प्रकती फेसलुगाट दोरत क्वर
के प्रम हो। बाद उक्ती व दखिल
जि लो लेख अण्डानु हो सुनाया गया।

सि

उपस्थंड अधिकारी
मुंडावर (सैरवल-सिजास)